

प्रकरण सं० अनवान
Continuation Note Sheet

6.6.17 प्रवाली मूल प्रकरण 95/14 के साथ -
 दिनांक 29.8.17 को केवहा

15.7.17 प्रवाली आज विशेष लोक अदालत में पेसी में ली गई। प्रवाली का अवलोकन किया गया। प्राथमिक-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मूल प्रकरण 177 RTA के साथ पेश किया गया। मूल प्रकरण इस न्यायालय में न्यायधिक प्रक्रिया में विचारधीन है। चूंकि प्राथमिक-पत्र 212 एवं 177 RTA एक ही प्रकृति के प्रकरण हैं तथा 212 RTA के प्राथमिक पत्र का निस्तारण मूल प्रकरण 177 की सुनवाई के साथ ही होनी है। अतः अलग से 212 RTA की सुनवाई का कोई औपचारिक प्रतीक नहीं होता, आवश्यकता पड़ने पर धारा 177 की प्रवाली में अन्तर्गत आदेश दिया जा सकता है। अतः यह प्रकरण (प्रवाली) 177 RTA की मूल प्रवाली सं 95/2014 के साथ सम्मिलित (club) की जाती है। प्रवाली नम्बर से कट कर मूल वाद सं 95/2014 के साथ शामिल की जावे।

(यशपाल आहूजा)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीगंगा नगर

थान स
 बृजलाल
 ता पुत्री
 रा पुत्री
 तो पुत्री
 केमणी
 कला
 राजे
 अश
 मला
 मती